



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]  
No. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1990/भाद्रपद 10, 1912  
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1990/BHADRA 10, 1912

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केंद्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम,  
(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general  
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other  
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other  
than the Administration of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1990

सा. क्र. नि. 560 :—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309  
के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय  
(भर्तों और सेवा की शर्तों) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए  
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्तों  
और सेवा की शर्तों) पाँचवाँ संशोधन नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्तों और सेवा की शर्तों) नियम, 1976  
में—(1) विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन और उसके कृत्यों से संबंधित  
अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची 4 (नियम 9 देखिए)

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन और उसके कृत्य

राष्ट्रपति का विभागीय प्रोन्नति, पुष्टि, प्रतिधारण या ऐसे अन्य प्रयोजनों  
के लिए, जो वह निम्नलिखित, उपयुक्त अवधियों की सिफारिश करने के

2203 GI/86-

लिए एक विभागीय प्रोन्नति समिति स्थापित कर सकेगा। विभागीय  
प्रोन्नति समिति तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा  
जारी किए गए साधारण अनुदेशों का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए  
राष्ट्रपति के सचिव द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

2. समिति के कृत्य :—विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित के  
सभी मामलों में कार्यवाही करेगी :—

(i) सरकारी सेवकों की चयन तथा अचयन पदों पर प्रोन्नति—

(ii) सरकारी सेवकों की पदों की उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों या  
पदों में पुष्टि;

(iii) परीक्षाधीन व्यक्तियों के सेवा में प्रतिधारण या उन्हें सेवान्युक्त  
करने के लिए उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए अथवा  
उनकी परीक्षा की विहित अवधि बढ़ाने के लिए उनके कार्य  
और आचरण का निर्धारण;

(iv) दक्षता रोध पार करने के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों के कार्य  
और आचरण का निर्धारण।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1990

सा. का. नि. 566—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्याक 24 के सामने—

(क) स्तम्भ 2 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

18(1989)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है;

(ख) स्तम्भ 10 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"लागू नहीं होता";

(ग) स्तम्भ 13 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति:

1. उप महानिदेशक (निरीक्षण),  
महानिदेशालय (आकाशवाणी) —प्रध्यक्ष
2. महानिदेशालय (आकाशवाणी)  
और महानिदेशालय (दूरदर्शन) से  
एक एक उप-महानिदेशक —सदस्य

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, 1962 (असाधारण), भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 347, तारीख 17-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए:—

1. अधिसूचना सं. 5(9) 158 बी एम तारीख 4-5-62 सा. का. नि. सं. 721 तारीख 26-5-62
2. अधिसूचना सं. 11(6) बी(ए) तारीख 18-10-62 सा. का. नि. सं. 1412 तारीख 27-10-62
3. अधिसूचना सं. 5(89) 158-बी(ए), तारीख 20-11-62 सा. का. नि. सं. 1627 तारीख 1-12-62
4. अधिसूचना सं. 9-7-62-बी (ए), तारीख 8-1-63 सा. का. नि. सं. 123 तारीख 8-1-63
5. अधिसूचना सं. 13(55) 161-बी(ए), तारीख 8-7-63 सा. का. नि. सं. 1225 तारीख 20-7-63
6. अधिसूचना सं. 5(43) 162-बी(ए), तारीख 31-8-62 सा. का. नि. सं. 1319 तारीख 10-8-63
7. अधिसूचना सं. 11(2) 61-बी (ए), तारीख 31-8-62 सा. का. नि. सं. 1319 तारीख 12-9-64
8. अधिसूचना सं. 11(3) 63-बी(ए), तारीख 31-10-64 सा. का. नि. सं. 1564 तारीख 15-10-64
9. अधिसूचना सं. 11(6) 164-बी(ए), तारीख नवम्बर, 1965 सा. का. नि. सं. 705 तारीख 8-5-65
10. अधिसूचना सं. 5(45) 65-बी(ए), नवम्बर, 1965

11. अधिसूचना सं. 11(4) 165-बी(ए), तारीख 31-12-65 सा. का. नि. सं. 58 तारीख 8-1-66
12. अधिसूचना सं. 11(6) 165-बी(ए), तारीख 1-11-65 सा. का. नि. सं. 1782 तारीख 26-11-66
13. अधिसूचना सं. 11(4) 65-बी (ए), तारीख 24-12-66 सा. का. नि. सं. 1973 तारीख 29-12-66
14. अधिसूचना सं. 7 (1) 67-बी (ए), दिसम्बर, 1967
15. अधिसूचना सं. 20 (6) 67-बी (ए), तारीख 23-3-1968 सा. का. नि. सं. 541 तारीख 23-3-1968
16. अधिसूचना सं. 7 (1) 67-बी (ए) तारीख 30-4-62 सा. का. नि. सं. 910 तारीख 30-4-68
17. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 20 (6) 67-बी (ए), तारीख 17-7-69 सा. का. नि. 1761 और 1821
18. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 7 (12) 68-बी (ए) तारीख 19-7-69 सा. का. नि. 1682
19. अधिसूचना सं. सा. नि. 17 (9) 68-बी (ए), तारीख 6-1-70 सा. का. नि. 173 तारीख 31-1-70
20. अधिसूचना सं. 17 (7) 69-बी (ए) तारीख 21-1-70 सा. का. नि. 204 तारीख 7-2-70
21. अधिसूचना सं. 17 (8) 69-बी (ए), तारीख 2-4-70 सा. का. नि. सं. 723 तारीख 2-5-70
22. अधिसूचना सं. 7 (2) 68-बी (ए), तारीख 24-4-70 सा. का. नि. 1161 तारीख 15-8-70
23. अधिसूचना सं. 1 (4) 70-बी (ए), तारीख 25-8-70
24. अधिसूचना सं. 17 (9) 69-बी (ए), तारीख 21-2-72 सा. का. नि. 367 तारीख 2-3-72
25. अधिसूचना सं. 1 (9) 71-बी (ए), तारीख 6-6-72 सा. का. नि. 869 तारीख 8-7-72
26. अधिसूचना सं. 1 (7) 71-बी (ए), तारीख 13-2-73 सा. का. नि. 228 तारीख 3-3-73
27. अधिसूचना सं. 1 (9) 72-बी (ए), तारीख 10-4-73 सा. का. नि. सं. 476 तारीख 5-5-73
28. अधिसूचना सं. 1 (15) 73-बी (ए), तारीख 16-2-74 सा. का. नि. सं. 256 तारीख 9-3-74
29. अधिसूचना सं. 1(12) 73-बी(ए), तारीख 4-4-73 सा. का. नि. सं.
30. अधिसूचना सं. 1 (12) 73-बी (ए), तारीख 24-6-75 सा. का. नि. सं. 894 तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17 (9) 69-बी (ए), तारीख 11-6-75 सा. का. नि. सं. 801 तारीख 28-6-75
32. अधिसूचना सं. 1 (15) 75-बी (ए), तारीख 15-4-76 सा. का. नि. सं. 677 तारीख 15-5-76
33. अधिसूचना सं. 1 (12) 73-बी (ए), तारीख 4-11-76 सा. का. नि. सं. 1671 तारीख 27-11-76
34. अधिसूचना सं. 12019 (9) 78-बी (ए), तारीख 26-12-78 सा. का. नि. सं. 95 तारीख 20-1-79
35. अधिसूचना सं. 12018 (4) 77-बी (ए), तारीख 4-9-80, सा. का. नि. सं. 1118 तारीख 25-10-80

36. अधिसूचना सं. 12019 (1) 78-बी (ए), तारीख 16-12-80  
सा.का.नि. सं. 14 तारीख 10-1-81
37. अधिसूचना सं. 13019 (1) 80-बी (ए), तारीख 20-10-81  
(प्रथम संशोधन), सा.का.नि. सं. 1002 तारीख 7-11-81
38. अधिसूचना सं. 12018 (4) 77-बी (ए), तारीख 15-1-83  
सा.का.नि. सं. 137 तारीख 6-2-82
39. अधिसूचना सं. 45011 (83) 82-बी (ए), तारीख 23-10-83  
सा.का.नि. सं. 740 (ई जे)
40. अधिसूचना सं. 12019 (83) 83-बी (ए), तारीख 28-6-85
41. अधिसूचना सं. 45011 (83) 83-बी (ए), बोलुम-वार (II)  
तारीख 8-5-1987
42. अधिसूचना सं. 119186-एम III आकाशवाणी बी (ए), तारीख  
25-10-87
43. अधिसूचना सं. 8145187-एम-II-बी (ए), तारीख 14-4-88
44. अधिसूचना सं. 718187-ए-आर बी (ए), तारीख 12-4-88
45. अधिसूचना सं. 14/18/86-एम-II आकाशवाणी बी (ए)  
तारीख 25-5-88
46. अधिसूचना सं. 7/5/87-ए, आर/बी (ए), तारीख 13-6-88

[संख्या 12019/4/80-बी (ए)]

कश्मीरी ज्ञान, ध्वज संघ

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
New Delhi, the 7th August, 1990

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962\*, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules 1962, against serial number 24 relating to the post of Senior Administrative Officer :—

(a) in column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"18\*(1989)

\*Subject to variation dependent on workload";

(b) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not applicable";

(c) in column 13, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'B' Departmental Promotion Committee :

1. Deputy Director General (Inspection), Directorate General (All India Radio) Chairman
2. One Deputy Director General each from Directorate General (All India Radio) and Directorate General, Doordarshan Member

Note : Principal rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub-Section (1) subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62 GSR No. 721 dated 26-5-62.

2. Notification No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62 GSR No. 1412 dated 27-10-62.

3. Notification No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62 GSR No. 1627 dated 1-12-62.

4. Notification No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63 GSR No. 123 dated 8-1-63.

5. Notification No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63 GSR No. 1225 dated 20-7-73.

6. Notification No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63 GSR No. 1319 dated 10-8-63.

7. Notification No. 11|2|61-B(A), dated 31-8-62 GSR No. 1310 dated 12-9-64.

8. Notification No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64 GSR No. 1564 dated 15-10-64.

9. Notification No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65 GSR No. 705 dated 8-5-65.

10. Notification No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965

11. Notification No. 11|4|65-B(A), dated 31-12-65. GSR No. 58 dated 8-1-66.

12. Notification No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-65 GSR No. 1782 dated 26-11-66.

13. Notification No. 11(4)/65-B(A), dated 24-12-66 GSR No. 1973 dated 29-12-66.

14. Notification No. 7|1|67-B(A), dated December, 67.

15. Notification No. 20|6|67-B(A), dated 23-3-68 GSR No. 541 dated 23-3-68.

16. Notification No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68 GSR No. 910 dated 30-4-68.

17. Notification No. 20|6|67-B(A), dated 7-7-69 GSR No. 1761 and 1821.

18. Notification No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 GSR No. 1682.

19. Notification No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70 GSR No. 173 dated 31-1-70.

20. Notification No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70 GSR No. 204 dated 7-2-70.

21. Notification No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70.

22. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70 GSR No. 1161 dated 15-8-70.

23. Notification No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70.

24. Notification No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72 GSR No. 367 dated 2-3-72.

25. Notification No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72 GSR No. 869 dated 8-7-72.

26. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73 GSR No. 223 dated 3-3-73.

27. Notification No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73 GSR No. 476 dated 5-5-73.

28. Notification No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74 GSR No. 256 dated 9-3-74.

29. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75.

30. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75.

31. Notification No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75.

32. Notification No. 1|15|75-B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-75.

33. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76.

34. Notification No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78 GSR No. 95 dated 20-1-79.

35. Notification No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80.